

छत्तीसगढ़ शासन  
वित्त विभाग  
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

क्र. 224/एफ 2016-04-03303/वित्त/नियम/चार नया रायपुर, दिनांक 19 मई, 2017  
प्रति,

शासन के समस्त विभाग  
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, बिलासपुर  
समस्त विभागाध्यक्ष  
समस्त संभागायुक्त  
समस्त कलेक्टर  
छत्तीसगढ़


विषय :- छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम, 2017 की अधिसूचना

वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 2016-04-03303/वित्त/नियम/चार  
दिनांक 19 मई, 2017 द्वारा राज्य शासन के कर्मचारियों के लिए दिनांक 01 जनवरी, 2016 से  
लागू छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम, 2017 अधिसूचित की गई है।

उक्त अधिसूचना की प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार


  
(एस. के. चक्रवर्ती) 19/05/2017  
संयुक्त सचिव

पृ.क्र. 225/एफ 2016-04-03303/वित्त/नियम/चार नया रायपुर, दिनांक 19 मई, 2017  
प्रतिलिपि:-

1. राज्यपाल के प्रमुख सचिव, राजभवन, रायपुर
2. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय
3. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, नया रायपुर
4. रजिस्ट्रार जनरल/महाधिवक्ता/उपमहाधिवक्ता, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
5. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग/मानवाधिकार आयोग/राज्य निर्वाचन आयोग/  
लोक आयोग, रायपुर
6. निज सचिव/निज सहायक, मंत्री (समस्त), छत्तीसगढ़, नया रायपुर
7. प्रधान महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर
8. मुख्य सचिव के संयुक्त सचिव, मंत्रालय, नया रायपुर
9. आयुक्त जनसंपर्क संचालनालय, नया रायपुर
10. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली
11. राज्य सूचना आयुक्त, शास्त्री चौक, रायपुर
12. समस्त अधिकारी एवं समस्त शाखा, वित्त विभाग, नया रायपुर
13. संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़, नया रायपुर
14. मुख्य लेखाधिकारी, मंत्रालय, नया रायपुर
15. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़
16. समस्त कोषालय अधिकारी, जिला/इंद्रावती कोषालय, छत्तीसगढ़
17. समस्त प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, रायपुर/बिलासपुर, छत्तीसगढ़
18. संचालक, शासकीय लेखन सामग्री एवं मुद्रण, रायपुर

– को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु

19. संचालक, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली, नया रायपुर को वित्त विभाग की वेबसाइट  
[WWW.cgfinance.nic.in](http://WWW.cgfinance.nic.in) पर अपलोड करने हेतु

  
19/05/2017  
(प्रेमा गुलाब ऐक्का)  
अवर सचिव

**छत्तीसगढ़ शासन**  
**वित्त विभाग**  
**मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर**

// अधिसूचना //

नया रायपुर, दिनांक 19 मई, 2017

क्रमांक एफ 2016-04-03303/वित्त/नियम/चार : भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्वारा, निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

**नियम**

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**— (1) ये नियम छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम, 2017 कहलायेंगे ।  
(2) ये नियम 1 जनवरी, 2016 से प्रवृत्त हुए समझे जायेंगे ।
2. **शासकीय सेवकों के प्रवर्ग, जिनको ये नियम लागू होंगे.**— इन नियमों द्वारा या इनके अधीन अन्यथा उपबंधित के सिवाय, ये नियम उन समस्त शासकीय सेवकों को लागू होंगे जो राज्य सरकार के नियम बनाने संबंधी नियंत्रण के अधीन आते हैं :

परन्तु ये नियम निम्नलिखित प्रवर्गों के शासकीय सेवकों को लागू नहीं होंगे :-

- (एक) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति;
- (दो) अंशकालीन तथा दैनिक मजदूरी वाले कर्मचारी;
- (तीन) पुनः नियोजित पेंशन भोगी;
- (चार) आकस्मिकता से वेतन पाने वाले व्यक्ति और कार्यभारित कर्मचारी;
- (पांच) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और अखिल भारतीय प्रौद्योगिकी शिक्षा परिषद् के वेतनमानों पर संदाय पाने वाले व्यक्ति;
- (छः) अखिल भारतीय सेवा के वेतनमानों में वेतन पाने वाले व्यक्ति;
- (सात) शेट्टी कमीशन के द्वारा अनुशंसित वेतन प्राप्त करने वाले न्यायालयीन सेवा के व्यक्ति; और



(आठ) व्यक्तियों का कोई अन्य वर्ग या प्रवर्ग जिसे राज्यपाल, आदेश द्वारा, इस निमित्त विशेष रूप से विनिर्दिष्ट करें।

**स्पष्टीकरण** – खण्ड (तीन) के प्रयोजन के लिये, पुनः नियोजित पेंशन भोगी के अन्तर्गत वे पुनः नियोजित पेंशनभोगी सम्मिलित नहीं होंगे, जो प्रतिकर या अशक्त पेंशन प्राप्त करते थे और ऐसे सैनिक पेंशन भोगी जो प्रतिकर या अशक्त पेंशन प्राप्त करते थे और जो राज्य के नियम बनाने के नियंत्रण के अधीन पुनः नियोजित हैं और विद्यमान वेतनमान में वेतन आहरित कर रहे हैं।

3. **परिभाषाएं** .— इन नियमों में, जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, —
- (क) पुनरीक्षित वेतन संरचना में **“मूल वेतन”** से अभिप्रेत है वेतन मैट्रिक्स में विहित लेवल में आहरित वेतन, किन्तु इसमें किसी अन्य प्रकार का वेतन जैसे— विशेष वेतन, आदि शामिल नहीं है;
  - (ख) **“विद्यमान मूल वेतन”** से अभिप्रेत है वह वेतन, जो निर्धारित विद्यमान वेतन बैंड और ग्रेड वेतन में आहरित किया जाता है, किन्तु इसमें किसी अन्य प्रकार का वेतन जैसे विशेष वेतन, आदि शामिल नहीं है;
  - (ग) शासकीय सेवकों के संबंध में **“विद्यमान वेतन बैंड और ग्रेड वेतन”** से अभिप्रेत है ऐसा वर्तमान वेतन बैंड और ग्रेड वेतन, जो शासकीय सेवक द्वारा इन नियमों की अधिसूचना के ठीक पहले की तारीख को, मौलिक अथवा स्थानापन्न रूप से धारित पद (अथवा, जैसा भी स्थिति हो, उसे लागू वैयक्तिक वेतनमान) पर लागू हो;
  - (घ) शासकीय सेवक के संबंध में **“विद्यमान वेतन संरचना”** से अभिप्रेत है इन नियमों के प्रवृत्त होने के ठीक पहले की तारीख को, शासकीय सेवक द्वारा मौलिक अथवा स्थानापन्न रूप से धारित पद के लिये लागू वेतन बैंड और ग्रेड वेतन की वर्तमान पद्धति;

**स्पष्टीकरण** — किसी शासकीय सेवक के मामले में, जो 01 जनवरी, 2016 को अवकाश पर अथवा भारत के बाहर प्रतिनियुक्ति पर अथवा बाह्य सेवा में था अथवा जो उस तारीख को उच्चतर पद पर स्थानापन्न रहते हुए भी एक या

एक से अधिक निचले पदों पर कार्य करता होता, "विद्यमान मूल वेतन" तथा "विद्यमान वेतन बैंड और ग्रेड वेतन" में किसी पद के लिये ग्राह्य "विद्यमान मूल वेतन" तथा "विद्यमान वेतन बैंड और ग्रेड वेतन" जो उसने अवकाश पर, भारत से बाहर प्रतिनियुक्ति पर, बाह्य सेवा पर अथवा किसी उच्चतर पद पर स्थानापन्न रहने पर भी धारित किया होता, शामिल होगा।

(ड.) "विद्यमान परिलब्धियों" से अभिप्रेत है—

(एक) विद्यमान मूल वेतन और (दो) 1 जनवरी, 2016 के सूचकांक औसत में विद्यमान महंगाई भत्ता का योग;

(च) वेतन मैट्रिक्स में "लेवल" से अभिप्रेत है अनुसूची-एक में विनिर्दिष्ट विद्यमान वेतन बैंड और ग्रेड वेतन के तत्स्थानी लेवल;

(छ) "वेतन मैट्रिक्स" से अभिप्रेत है अनुसूची-एक में विनिर्दिष्ट मैट्रिक्स, तत्स्थानी विद्यमान वेतन बैंड और ग्रेड वेतन के लिए यथा समनुदेशित लंबवत् कोष्टिकाओं में व्यवस्थित वेतन लेवल सहित;

(ज) "लेवल में वेतन" से अभिप्रेत है अनुसूची-एक में यथा विनिर्दिष्ट लेवल में उपयुक्त कोष्टिका में आहरित वेतन;

(झ) "पुनरीक्षित परिलब्धियों" से अभिप्रेत है पुनरीक्षित वेतन संरचना में किसी शासकीय सेवक के लेवल में वेतन;

(ञ) किसी पद के संबंध में "पुनरीक्षित वेतन संरचना" से अभिप्रेत है उस पद के विद्यमान वेतन बैंड और ग्रेड वेतन के तत्स्थानी वेतन मैट्रिक्स और उसमें विनिर्दिष्ट लेवल, जब तक कि उस पद के लिए कोई भिन्न लेवल पृथक से अधिसूचित न किया गया हो;

(ट) "अनुसूची" अभिप्रेत है इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची।

4. पदों के लेवल.— पदों के लेवल का निर्धारण, उन विभिन्न लेवलों के अनुसार किया जायेगा, जो कि तत्स्थानी वेतन मैट्रिक्स में यथा विनिर्दिष्ट विद्यमान वेतन बैंड और ग्रेड वेतन के लिए समनुदेशित हों।

5. **पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन का आहरण.**— प्रत्येक शासकीय सेवक, पुनरीक्षित वेतन संरचना में, उसके नियुक्ति के पद पर लागू लेवल में, वेतन आहरित करेगा :

परन्तु यह कि कोई शासकीय सेवक, विद्यमान वेतन संरचना में उसकी आगामी या किसी अनुवर्ती वेतनवृद्धि की तारीख तक अथवा उस पद को रिक्त करने तक अथवा उस विद्यमान वेतन संरचना में वेतन आहरण बन्द करने तक विद्यमान वेतन संरचना में वेतन आहरित करने का चयन कर सकता है :

परन्तु यह और कि ऐसे मामलों में जहां शासकीय सेवक को दिनांक 1 जनवरी, 2016 तथा इन नियमों के अधिसूचना की तिथि के बीच पदोन्नति अथवा स्तरोन्नयन के फलस्वरूप, उच्चतर ग्रेड वेतन में रखा गया है, शासकीय सेवक ऐसी पदोन्नति अथवा स्तरोन्नयन की तारीख से, जैसा भी स्थिति हो, पुनरक्षित वेतन संरचना में आने का विकल्प चुन सकता है।

#### **स्पष्टीकरण –**

- (1) इस नियम के परन्तुकों के अधीन विद्यमान वेतन संरचना प्रतिधारित करने का विकल्प, केवल एक ही विद्यमान वेतन बैंड और ग्रेड वेतन के संबंध में अनुज्ञेय होगा ।
- (2) उपर्युक्त विकल्प, किसी ऐसे व्यक्ति के संबंध में अनुज्ञेय नहीं होगा जो 1 जनवरी, 2016 को या उसके पश्चात् चाहे शासकीय सेवा में प्रथम बार या किसी अन्य पद से स्थानांतरण द्वारा, नियुक्त किया गया है, उसे केवल पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन अनुज्ञेय होगा।
- (3) जहां कोई शासकीय सेवक, नियमित आधार पर स्थानापन्न हैसियत में उसके द्वारा धारण किये गये किसी पद के संबंध में विद्यमान वेतन संरचना प्रतिधारित करने के विकल्प का, इस नियम के परन्तुकों के अधीन प्रयोग करता है, वहां मूलभूत नियम 22 या उस पद पर लागू किसी अन्य नियम या आदेश के अधीन उस वेतन संरचना में वेतन के विनियमितीकरण के प्रयोजन के लिये उसका मूल वेतन, वह मूल वेतन

होगा जो वह उस दशा में आहरित करता जबकि वह उस स्थायी पद के संबंध में जिस पर धारणाधिकार रखता है, विद्यमान वेतन संरचना प्रतिधारित करता या धारणाधिकार रखता यदि उसका धारणाधिकार निलंबित नहीं कर दिया जाता अथवा उस स्थानापन्न पद का वेतन जिसे तत्समय लागू किसी आदेश के अनुसार मौलिक वेतन का स्वरूप प्राप्त है, में जो भी अधिक हो, होगा।

6. **विकल्प का प्रयोग.**— (1) नियम 5 के परन्तुकों के अधीन विकल्प का प्रयोग, इन नियमों के अनुसूची-दो में संलग्न प्रारूप में, लिखित में, इस तरह किया जाएगा कि इन नियमों के प्रकाशन की तारीख से तीन माह के भीतर या जहां विद्यमान वेतन संरचना इस तारीख के पश्चात् किये गये किसी आदेश द्वारा पुनरीक्षित किया गया हो, वहां ऐसे आदेश की तारीख से तीन माह के भीतर उप-नियम (2) में उल्लेखित प्राधिकारी को प्राप्त हो जाए :

**परन्तु.**—

- (एक) किसी ऐसे शासकीय सेवक के मामले में, जो यथास्थिति इन नियमों के प्रकाशन की तारीख या ऐसे आदेश की तारीख पर अवकाश में हो या राज्य के बाहर प्रतिनियुक्ति में हों, उक्त विकल्प का प्रयोग इस प्रकार से कर सकेगा कि राज्य सरकार के अधीन उसके द्वारा उस पद पर कार्यभार ग्रहण करने के तीन मास के भीतर, संबंधित प्राधिकारी को लिखित में प्राप्त हो जाए;
- (दो) जहां कोई शासकीय सेवक, 1 जनवरी, 2016 को निलंबनाधीन हो, वहां विकल्प का प्रयोग उसके कर्तव्य पर वापसी की तारीख से तीन माह के भीतर किया जा सकेगा यदि वह तारीख उस तारीख के बाद की हो जो इस उप-नियम में विहित की गई है; तथा
- (तीन) वे शासकीय सेवक, जो 1 जनवरी, 2016 के पश्चात् और इन नियमों के प्रकाशन के पूर्व सेवानिवृत्त हुए हैं, भी इस नियम के अधीन विकल्प का प्रयोग करने के लिये पात्र होंगे।

- (2) शासकीय सेवक द्वारा विकल्प उसके कार्यालय प्रमुख को संसूचित किया जायेगा। कार्यालय प्रमुख अपना स्वयं का विकल्प नियंत्रण अधिकारी को प्रस्तुत करेगा।
- (3) यदि विकल्प के संबंध में सूचना, उप-नियम (1) में उल्लिखित समयावधि के अंदर प्राप्त नहीं होता हो, तो यह मान लिया जाएगा कि शासकीय सेवक ने दिनांक 1 जनवरी, 2016 से पुनरीक्षित वेतन संरचना द्वारा शासित होने का चयन कर लिया है।
- (4) एक बार प्रयोग किया गया विकल्प अंतिम होगा। विकल्प में कांट-छांट या उपरिलेखन स्वीकार्य नहीं होगा।

**टिप्पणी 1** – वे व्यक्ति, जिनकी सेवायें 1 जनवरी, 2016 को या उसके पश्चात् समाप्त कर दी गई हैं और जो विहित की गई समय सीमा के भीतर विकल्प का प्रयोग, स्वीकृत पदों की समाप्ति पर सेवोन्मुक्त कर दिये जाने, पद त्याग, पदच्युति अथवा अनुशासनिक आधार पर सेवोन्मुक्ति होने के कारण नहीं कर सके थे, इस नियम का लाभ उठाने के हकदार हैं।

**टिप्पणी 2** – ऐसे व्यक्ति, जिनकी मृत्यु 1 जनवरी, 2016 को या उसके पश्चात् हो गई हो तथा जिनके द्वारा विहित समयावधि में विकल्प का प्रयोग नहीं किया जा सका हो, के संबंध में, यदि पुनरीक्षित वेतन संरचना अधिक अनुकूल है, यह समझा जायेगा कि उसके द्वारा पुनरीक्षित वेतन संरचना के लिये विकल्प का प्रयोग 1 जनवरी, 2016 से या उसके पश्चात्वर्ती किसी तिथि से, यदि संबंधित प्राधिकारी द्वारा अधिक लाभप्रद पाया जाये, किया गया है, और तदनुसार उसका वेतन नियत किया जा सकेगा।

7. **पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन का निर्धारण.**— (1) उस शासकीय सेवक का जो दिनांक 1 जनवरी, 2016 से पुनरीक्षित वेतन संरचना द्वारा शासित होने का चयन करता है या जिसके बारे में नियम 6 के उप-नियम (3) के अन्तर्गत यह समझा जाता है कि उसने दिनांक 1 जनवरी, 2016 से पुनरीक्षित वेतन संरचना का चयन कर लिया है, उस दशा के सिवाय, जहां राज्य सरकार विशेष



आदेश द्वारा अन्यथा निर्देश दें, प्रारंभिक वेतन का नियतन, उस स्थायी पद के संबंध में जिस पर वह धारणाधिकार रखता है या धारणाधिकार रखता, यदि उसे निलम्बित न कर दिया गया होता तथा उसके द्वारा धारित स्थानापन्न पद में उसके वेतन के संबंध में अलग-अलग, निम्नलिखित रीति से किया जायेगा, अर्थात् :-

(एक) वेतन मैट्रिक्स में प्रयोज्य लेवल में वेतन वह होगा जो विद्यमान मूल वेतन को 2.57 के गुणक से गुणा करके तथा इस प्रकार से प्राप्त संख्या को निकटतम रूपये में पूर्णांकित करने पर प्राप्त हो तथा इस प्रकार प्राप्त संख्या को वेतन मैट्रिक्स में उसी लेवल में रखा जायेगा और यदि वेतन मैट्रिक्स के प्रयोज्य लेवल की किसी कोष्टिका में कोई समरूप राशि हो तो वही वेतन होगा, और यदि प्रयोज्य लेवल में ऐसी कोई कोष्टिका उपलब्ध न हो, तो वेतन का निर्धारण वेतन मैट्रिक्स के प्रयोज्य लेवल में उससे ठीक उच्चतर कोष्टिका में किया जायेगा।

उदाहरण -

1	विद्यमान वेतन बैंड : पीबी-1	Pay Band	5200-20200				
2	विद्यमान ग्रेड वेतन : 2400	Grade Pay	1800	1900	2200	2400	2800
3	वेतन बैंड में विद्यमान वेतन : 10190	Levels	3	4	5	6	7
		1	18000	19500	22400	25300	28700
4	विद्यमान मूल वेतन : 12590 (10190 + 2400)	2	18500	20100	23100	26100	29600
		3	19100	20700	23800	26900	30500
5	2.57 के फिटमेंट गुणांक से गुणा करने के पश्चात वेतन : $12590 \times 2.57 = 32356.30$ (32356 में पूर्णांकित)	4	19700	21300	24500	27700	31400
		5	20300	21900	25200	28500	32300
		6	20900	22600	26000	29400	33300
		7	21500	23300	26800	30300	34300
6	ग्रेड वेतन 2400 का तदनुरूपी लेवल : लेवल 6	8	22100	24000	27600	31200	35300
		9	22800	24700	28400	32100	36400
7	वेतन मैट्रिक्स में पुनरीक्षित वेतन (लेवल 6 में या तो 32356 के बराबर या उससे अगली उच्चतर राशि) : <b>33100</b>	10	23500	25400	29300	<b>33100</b>	37500
		11	24200	26200	30200	34100	38600

- (दो) यदि प्रयोज्य लेवल में न्यूनतम वेतन या प्रथम कोष्टिका की राशि, उपर्युक्त उप-खंड (एक) के अनुसार प्राप्त राशि से अधिक है तो वेतन, इस प्रयोज्य लेवल के न्यूनतम वेतन पर अथवा प्रथम कोष्टिका में निर्धारित किया जायेगा।
- (2) कोई शासकीय सेवक जो दिनांक 1 जनवरी, 2016 को अवकाश पर है और उसे अवकाश वेतन की पात्रता है, दिनांक 1 जनवरी, 2016 अथवा पुनरीक्षित वेतन संरचना में विकल्प देने की तारीख से पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन आहरित करने का पात्र होगा। इसी प्रकार, यदि कोई शासकीय सेवक दिनांक 1 जनवरी, 2016 को अध्ययन अवकाश पर हो तो वह 1 जनवरी, 2016 अथवा विकल्प की तारीख से इन नियमों के अन्तर्गत लाभ प्राप्त करने का पात्र होगा।
- (3) निलंबित शासकीय सेवक, विद्यमान वेतनमान अथवा वेतन संरचना के आधार पर जीवन निर्वाह (निलंबन) भत्ता प्राप्त करता रहेगा तथा पुनरीक्षित वेतन संरचना में उसका वेतन लंबित अनुशासनात्मक कार्यवाही पर अंतिम आदेश के अध्यक्षीन होगा।
- (4) यदि किसी शासकीय सेवक की 'विद्यमान परिलब्धियों', 'पुनरीक्षित परिलब्धियों' से अधिक हैं, तो अंतर की राशि व्यक्तिगत वेतन के रूप में मान्य किया जायेगा जिसका समायोजन भविष्य की वेतनवृद्धियों में किया जाएगा।
- (5) जहां ऐसे शासकीय सेवक का, जो दिनांक 1 जनवरी, 2016 से ठीक पहले उसी संवर्ग के किसी कनिष्ठ शासकीय सेवक से अधिक वेतन प्राप्त कर रहा था तथा उप-नियम (1) के अन्तर्गत वेतन निर्धारण के फलस्वरूप पुनरीक्षित वेतन संरचना में उसका वेतन, ऐसे कनिष्ठ कर्मचारी से नीचे की कोष्टिका पर निर्धारित हुआ हो, उसका वेतन, पुनरीक्षित वेतन संरचना में कनिष्ठ कर्मचारी के समान कोष्टिका तक बढ़ा दिया जायेगा।



- (6) जहां कोई शासकीय सेवक इन नियमों की अधिसूचना के ठीक पहले की तारीख को व्यक्तिगत वेतन प्राप्त कर रहा है और यदि व्यक्तिगत वेतन को विद्यमान परिलब्धियों में शामिल करने से इसका योग पुनरीक्षित परिलब्धियों से अधिक होता है, तो उक्त आधिक्य के समान अन्तर की राशि उस शासकीय सेवक को व्यक्तिगत वेतन के रूप में मान्य किया जाएगा, जिसका समायोजन भविष्य की वेतनवृद्धियों में किया जाएगा।
- (7) ऐसे मामलों में, जहां किसी वरिष्ठ शासकीय सेवक की पदोन्नति उच्च पद पर दिनांक 1 जनवरी, 2016 के पूर्व हुई है और पुनरीक्षित वेतन संरचना में अपने ऐसे कनिष्ठ से कम वेतन आहरित करता है जिसकी पदोन्नति उच्च पद पर दिनांक 1 जनवरी, 2016 के बाद में हुई है, तो उस वरिष्ठ शासकीय सेवक का पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन में वृद्धि कर उतना कर दिया जाएगा जितना कि उससे कनिष्ठ कर्मचारी का उच्च पद पर निर्धारित हुआ है। ऐसी वृद्धि कनिष्ठ शासकीय सेवक की पदोन्नति की तिथि से निम्नलिखित शर्तों के अधीन की जायेगी, अर्थात् :-
- (क) वरिष्ठ एवं कनिष्ठ शासकीय सेवक एक ही संवर्ग के हों तथा जिस पद पर उनकी पदोन्नति हुई है, वह पद भी एक ही संवर्ग का समान पद हो।
- (ख) उच्च एवं निम्न पदों का विद्यमान वेतन संरचना तथा पुनरीक्षित वेतन संरचना जिस पर वेतन आहरण की पात्रता है, समरूप हों।
- (ग) वरिष्ठ शासकीय सेवक का पदोन्नति के समय वेतन, कनिष्ठ कर्मचारी के वेतन के बराबर अथवा उससे अधिक हो।
- (घ) विसंगति सीधे तौर पर मूलभूत नियम 22 के प्रावधानों अथवा पुनरीक्षित वेतन संरचना में ऐसी पदोन्नति पर वेतन निर्धारण के विनियमन से संबंधित किसी नियम या आदेश को लागू करने के कारण हो:



परन्तु यदि विद्यमान वेतन संरचना में कनिष्ठ अधिकारी उसे स्वीकृत किसी अग्रिम वेतनवृद्धि के फलस्वरूप वरिष्ठ अधिकारी से अधिक वेतन प्राप्त कर रहा था तो इस टिप्पणी के प्रावधानों के अनुसार वरिष्ठ अधिकारी के वेतन में वृद्धि नहीं की जायेगी।

(8) नियम 5 के प्रावधानों के अधधीन, उप-नियम (1) के अधीन स्थानापन्न पद पर नियत किया गया वेतन यदि स्थाई पद के वेतन से कम है तो उसे स्थाई पद के वेतन के समान प्रक्रम में निर्धारित किया जाएगा।

8. दिनांक 1 जनवरी, 2016 को अथवा उसके पश्चात् नवनियुक्त शासकीय कर्मचारियों का पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन निर्धारण.— दिनांक 1 जनवरी, 2016 को अथवा उसके पश्चात् किसी निर्दिष्ट पद पर सीधी भर्ती से नियुक्त कर्मचारी का वेतन, उस पद, जिसमें ऐसा कर्मचारी नियुक्त किया गया हो, के लिए प्रयोज्य लेवल के न्यूनतम वेतन पर या प्रथम कोष्टिका में निर्धारित किया जायेगा :

परन्तु जहां 1 जनवरी, 2016 को या इसके पश्चात् और इन नियमों की अधिसूचना की तारीख से पहले नियुक्त ऐसे कर्मचारी का विद्यमान वेतन, विद्यमान वेतन संरचना में पहले ही निर्धारित कर दिया गया है और यदि उसकी विद्यमान परिलब्धियां उस पद पर जिस पर उसे 1 जनवरी, 2016 को या उसके पश्चात् नियुक्त किया गया है, के लिए प्रयोज्य लेवल के न्यूनतम वेतनमान अथवा प्रथम कोष्टिका से अधिक होती है, ऐसी अंतर की राशि व्यक्तिगत वेतन के रूप में अनुज्ञात किया जायेगा, जिसे भविष्य में होने वाली वेतन वृद्धियों में समायोजित किया जायेगा।

9. वेतन मैट्रिक्स में वेतनवृद्धि.— वेतन वृद्धि, वेतन मैट्रिक्स में प्रयोज्य लेवल की खड़ी कोष्टिकाओं में विनिर्दिष्ट अनुसार दी जायेगी।

लेवल 6 में 33100 रूपये मूल वेतन प्राप्त कर रहा कर्मचारी उसी लेवल में लंबवत नीचे	पे बैंड	5200-20200				
	ग्रेड पे	1800	1900	2200	2400	2800
	लेवल	3	4	5	6	7
	1	18000	19500	22400	25300	28700

की ओर कोष्टिकाओं में चलेगा और वेतन वृद्धि दिए जाने के पश्चात उसका मूल वेतन 34100 रूपए हो जायेगा।	2	18500	20100	23100	26100	29600
	3	19100	20700	23800	26900	30500
	4	19700	21300	24500	27700	31400
	5	20300	21900	25200	28500	32300
	6	20900	22600	26000	29400	33300
	7	21500	23300	26800	30300	34300
	8	22100	24000	27600	31200	35300
	9	22800	24700	28400	32100	36400
	10	23500	25400	29300	33100	37500
					↓	
	11	24200	26200	30200	34100	38600

10. पुनरीक्षित वेतन संरचना में आगामी वेतनवृद्धि की तारीख- (1) 1

जुलाई की विद्यमान तारीख के स्थान पर वेतन वृद्धि की दो तारीखें होंगी अर्थात् प्रत्येक वर्ष की 1 जनवरी और 1 जुलाई :

परन्तु किसी कर्मचारी को उसकी नियुक्ति, पदोन्नति या स्तरोन्नयन के तारीख के आधार पर या तो 1 जनवरी अथवा 1 जुलाई को केवल एक वार्षिक वेतन वृद्धि की पात्रता होगी।

(2) ऐसा कर्मचारी जिसकी नियुक्ति, पदोन्नति अथवा स्वीकृत वित्तीय स्तरोन्नयन, 2 जनवरी और 1 जुलाई (दोनों दिन शामिल) के बीच में हुई है, के मामले में, वेतन वृद्धि 1 जनवरी को दी जायेगी तथा ऐसा कर्मचारी जिसकी नियुक्ति, पदोन्नति अथवा स्वीकृत वित्तीय स्तरोन्नयन, 2 जुलाई और 1 जनवरी (दोनों दिन शामिल) के बीच में हुई है, के मामले में, वेतन वृद्धि 1 जुलाई को दी जायेगी।

उदाहरण :

(क) ऐसा कर्मचारी जिसे 2 जुलाई, 2016 और 1 जनवरी, 2017 की बीच की अवधि में नियुक्ति अथवा सामान्य पदक्रम में पदोन्नति दी गई है अथवा वित्तीय स्तरोन्नयन स्वीकृति दी गई है, के मामले में, प्रथम वेतनवृद्धि की पात्रता 1 जुलाई, 2017 को होगी तथा इसके पश्चात एक वर्ष के अंतराल में वार्षिक आधार पर देय होगी।

(ख) ऐसा कर्मचारी जिसे 2 जनवरी, 2016 और 1 जुलाई, 2016 के बीच की अवधि में नियुक्ति अथवा सामान्य पदक्रम में पदोन्नति दी गई है अथवा वित्तीय स्तरोन्नयन स्वीकृति दी गई है, यदि उसने 1 जुलाई, 2016 को कोई वेतनवृद्धि आहरित नहीं की है, के मामले में, आगामी वेतनवृद्धि की पात्रता 1 जनवरी, 2017 को होगी तथा इसके पश्चात एक वर्ष के अंतराल में वार्षिक आधार पर देय होगी :

परन्तु ऐसे कर्मचारी जिनके मामले में 1 जनवरी को पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन निर्धारित किया गया है, उस लेवल में जिसमें ऐसा वेतन 1 जनवरी, 2016 को निर्धारित किया गया था, आगामी वेतनवृद्धि 1 जुलाई, 2016 को प्राप्त होगी :

परन्तु यह और कि 1 जुलाई, 2016 को वेतनवृद्धि आहरित करने के पश्चात आगामी वेतनवृद्धि 1 जुलाई, 2017 को देय होगी।

11. **पुनरीक्षित वेतन संरचना में 01 जनवरी, 2016 के पश्चात वेतन का नियतन.**— जहां कोई शासकीय सेवक, विद्यमान वेतन संरचना में वेतन आहरित करना जारी रखता है और 1 जनवरी, 2016 के पश्चातवर्ती किसी तारीख से पुनरीक्षित वेतन संरचना में लाया जाता है, वहां पुनरीक्षित वेतन संरचना में पश्चातवर्ती तारीख से उसका वेतन निर्धारण, नियम 7 के उप-नियम (1) के खण्ड (एक) में विहित रीति से किया जायेगा।
12. **दिनांक 01 जनवरी, 2016 के पूर्व धारित किसी पद पर उक्त तिथि के पश्चात् पुनःनियुक्ति होने पर वेतन निर्धारण.**— कोई शासकीय सेवक जो दिनांक 01 जनवरी, 2016 के पूर्व किसी पद पर स्थानापन्न रूप से कार्य किया हो, किन्तु दिनांक 01 जनवरी, 2016 को उस पद को धारण नहीं करता था और उस पद पर पश्चातवर्ती नियुक्ति पर पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन आहरित करता है, उसे मूलभूत नियम 22 के परन्तुक का लाभ उसी सीमा तक अनुज्ञात किया जायेगा जहां तक कि वह उसे उस दशा में अनुज्ञेय होता जबकि वह

दिनांक 01 जनवरी, 2016 को उस पद को धारण किया होता और उस तारीख को पुनरीक्षित वेतन संरचना का चयन करता ।

13. 01 जनवरी, 2016 को या उसके पश्चात पदोन्नति पर वेतन निर्धारण – पुनरीक्षित वेतन संरचना में एक लेवल से दूसरे लेवल में पदोन्नति के मामले में वेतन निर्धारण हेतु जिस लेवल से शासकीय सेवक पदोन्नत होता है, उस लेवल में एक वेतनवृद्धि दी जायेगी और उसे उस पद पर जिसमें पदोन्नति दी गई है, के लेवल में इस प्रकार से प्राप्त राशि के समतुल्य कोष्टिका में रखा जायेगा और यदि ऐसी कोई कोष्टिका उस लेवल में जिसमें पदोन्नति दी गई है, उपलब्ध नहीं है तो उस लेवल में अगली उच्चतर कोष्टिका में रखा जायेगा।

उदाहरण: –

1	पुनरीक्षित वेतन संरचना में लेवल : लेवल 6	वेतन बैंड	5200-20200				
2	पुनरीक्षित वेतन संरचना में मूल वेतन : 31200	ग्रेड वेतन	1800	1900	2200	2400	2800
3	लेवल 7 में पदोन्नति स्वीकृत	लेवल	3	4	5	6	7
		1	18000	19500	22400	25300	28700
4	लेवल 6 में एक वेतनवृद्धि दिए जाने के पश्चात् वेतन : 32100	2	18500	20100	23100	26100	29600
		3	19100	20700	23800	26900	30500
5	उन्नत लेवल अर्थात् लेवल 7 में वेतन : 32300 (लेवल 6 में 32100 के बराबर या उससे उच्चतर राशि)	4	19700	21300	24500	27700	31400
		5	20300	21900	25200	28500	<b>32300</b>
		6	20900	22600	26000	29400	33300
		7	21500	23300	26800	30300	34300
		8	22100	24000	27600	<b>31200</b>	35300
		9	22800	24700	28400	<b>32100</b>	36400
		10	23500	25400	29300	33100	37500
		11	24200	26200	30200	34100	38600

14. वेतन के बकाया के भुगतान की रीति. – वेतन के बकाया का भुगतान, इस संबंध में शासन द्वारा निर्णय लिये जाने के उपरांत, किया जाएगा और इस हेतु अलग से आदेश जारी किये जायेंगे।


**स्पष्टीकरण** – इस नियम के प्रयोजन हेतु किसी शासकीय सेवक के संबंध में, “बकाया वेतन” से अभिप्रेत है निम्न का अन्तर :-

(एक) इन नियमों के अन्तर्गत वेतन पुनरीक्षण के फलस्वरूप 1 जनवरी, 2016 से प्रभावी अवधि हेतु वेतन एवं महंगाई भत्ते को जोड़, जिसकी उसे पात्रता है; तथा

(दो) उस अवधि में वेतन एवं महंगाई भत्ते को जोड़, जिनकी उसे पात्रता होती (चाहे ऐसे वेतन एवं महंगाई भत्तों का भुगतान प्राप्त किया गया हो अथवा नहीं) यदि उसके वेतन तथा भत्ते का इस प्रकार पुनरीक्षण नहीं किया गया होता ।

15. **नियमों का अध्यारोही प्रभाव.** – उन मामलों में जहां वेतन इन नियमों द्वारा विनियमित होता है, वहां मूलभूत नियम तथा किन्हीं अन्य नियमों के उपबंध उस सीमा तक लागू नहीं होंगे जहां तक कि वे इन नियमों से असंगत हो ।
16. **शिथिल करने की शक्ति.** – राज्य सरकार, शासकीय सेवकों को या शासकीय सेवकों के प्रवर्ग के मामलों में इन नियमों के उपबंधों में से किसी भी उपबंध का प्रवर्तन ऐसी रीति से और ऐसी सीमा तक शिथिल या निलंबित कर सकेगी जैसा कि उसे लोकहित में न्यायसंगत और साम्यपूर्ण या आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो ।
17. **निर्वचन.** – यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उद्भूत होता हो तो वह शासन के वित्त विभाग को निर्दिष्ट किया जायेगा, जिस पर उसका विनिश्चय अंतिम होगा ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,

  
(एस.के. चक्रवर्ती)  
संयुक्त सचिव 19/05/2017



## अनुसूची-एक

वेतन मैट्रिक्स											
पे बैंड	4750-7440		5200-20200					9300-34800			
ग्रेड पे	1300	1400	1800	1900	2200	2400	2800	4200	4300	4400	4800
लेवल	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	15600	16100	18000	19500	22400	25300	28700	35400	38100	43200	49100
2	16100	16600	18500	20100	23100	26100	29600	36500	39200	44500	50600
3	16600	17100	19100	20700	23800	26900	30500	37600	40400	45800	52100
4	17100	17600	19700	21300	24500	27700	31400	38700	41600	47200	53700
5	17600	18100	20300	21900	25200	28500	32300	39900	42800	48600	55300
6	18100	18600	20900	22600	26000	29400	33300	41100	44100	50100	57000
7	18600	19200	21500	23300	26800	30300	34300	42300	45400	51600	58700
8	19200	19800	22100	24000	27600	31200	35300	43600	46800	53100	60500
9	19800	20400	22800	24700	28400	32100	36400	44900	48200	54700	62300
10	20400	21000	23500	25400	29300	33100	37500	46200	49600	56300	64200
11	21000	21600	24200	26200	30200	34100	38600	47600	51100	58000	66100
12	21600	22200	24900	27000	31100	35100	39800	49000	52600	59700	68100
13	22200	22900	25600	27800	32000	36200	41000	50500	54200	61500	70100
14	22900	23600	26400	28600	33000	37300	42200	52000	55800	63300	72200
15	23600	24300	27200	29500	34000	38400	43500	53600	57500	65200	74400
16	24300	25000	28000	30400	35000	39600	44800	55200	59200	67200	76600
17	25000	25800	28800	31300	36100	40800	46100	56900	61000	69200	78900
18	25800	26600	29700	32200	37200	42000	47500	58600	62800	71300	81300
19	26600	27400	30600	33200	38300	43300	48900	60400	64700	73400	83700
20	27400	28200	31500	34200	39400	44600	50400	62200	66600	75600	86200
21	28200	29000	32400	35200	40600	45900	51900	64100	68600	77900	88800
22	29000	29900	33400	36300	41800	47300	53500	66000	70700	80200	91500
23	29900	30800	34400	37400	43100	48700	55100	68000	72800	82600	94200
24	30800	31700	35400	38500	44400	50200	56800	70000	75000	85100	97000
25	31700	32700	36500	39700	45700	51700	58500	72100	77300	87700	99900
26	32700	33700	37600	40900	47100	53300	60300	74300	79600	90300	102900
27	33700	34700	38700	42100	48500	54900	62100	76500	82000	93000	106000
28	34700	35700	39900	43400	50000	56500	64000	78800	84500	95800	109200
29	35700	36800	41100	44700	51500	58200	65900	81200	87000	98700	112500
30	36800	37900	42300	46000	53000	59900	67900	83600	89600	101700	115900
31	37900	39000	43600	47400	54600	61700	69900	86100	92300	104800	119400
32	39000	40200	44900	48800	56200	63600	72000	88700	95100	107900	123000
33	40200	41400	46200	50300	57900	65500	74200	91400	98000	111100	126700
34	41400	42600	47600	51800	59600	67500	76400	94100	100900	114400	130500
35	42600	43900	49000	53400	61400	69500	78700	96900	103900	117800	134400
36	43900	45200	50500	55000	63200	71600	81100	99800	107000	121300	138400
37	45200	46600	52000	56700	65100	73700	83500	102800	110200	124900	142600
38	46600	48000	53600	58400	67100	75900	86000	105900	113500	128600	146900
39	48000	49400	55200	60200	69100	78200	88600	109100	116900	132500	151300
40	49400	50900	56900	62000	71200	80500	91300	112400	120400	136500	155800

		वेतन मैट्रिक्स					
	पे बैंड	15600-39100			37400-67000		
	ग्रेड पे	5400	6600	7600	8700	8900	10000
	लेवल	12	13	14	15	16	17
	1	56100	67300	79900	118500	129700	141800
	2	57800	69300	82300	122100	133600	146100
	3	59500	71400	84800	125800	137600	150500
	4	61300	73500	87300	129600	141700	155000
	5	63100	75700	89900	133500	146000	159700
	6	65000	78000	92600	137500	150400	164500
	7	67000	80300	95400	141600	154900	169400
	8	69000	82700	98300	145800	159500	174500
	9	71100	85200	101200	150200	164300	179700
	10	73200	87800	104200	154700	169200	185100
	11	75400	90400	107300	159300	174300	190700
	12	77700	93100	110500	164100	179500	196400
	13	80000	95900	113800	169000	184900	202300
	14	82400	98800	117200	174100	190400	208400
	15	84900	101800	120700	179300	196100	214700
	16	87400	104900	124300	184700	202000	0
	17	90000	108000	128000	190200	208100	0
	18	92700	111200	131800	195900	214300	0
	19	95500	114500	135800	201800	0	0
	20	98400	117900	139900	207900	0	0
	21	101400	121400	144100	214100	0	0
	22	104400	125000	148400	0	0	0
	23	107500	128800	152900	0	0	0
	24	110700	132700	157500	0	0	0
	25	114000	136700	162200	0	0	0
	26	117400	140800	167100	0	0	0
	27	120900	145000	172100	0	0	0
	28	124500	149400	177300	0	0	0
	29	128200	153900	182600	0	0	0
	30	132000	158500	188100	0	0	0
	31	136000	163300	193700	0	0	0
	32	140100	168200	199500	0	0	0
	33	144300	173200	205500	0	0	0
	34	148600	178400	211700	0	0	0
	35	153100	183800	0	0	0	0
	36	157700	189300	0	0	0	0
	37	162400	195000	0	0	0	0
	38	167300	200900	0	0	0	0
	39	172300	206900	0	0	0	0
	40	177500	213100	0	0	0	0

*ang*

अनुसूची-दो  
**विकल्प का प्ररूप**

(नियम 6 देखिये)

मैं ----- एतद्द्वारा दिनांक 01 जनवरी, 2016 से पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन आहरण का चयन करता/करती हूँ ।

या

मैं ----- एतद्द्वारा अपने मूल / स्थानापन्न पद ----- के विद्यमान वेतन बैंड और ग्रेड वेतन को

\* (क) मेरी आगामी वेतनवृद्धि की तारीख तक

या \* (ख) मेरा बैंड वेतन रूपये ----- तक बढ़ने वाली उत्तरवर्ती वेतनवृद्धि की तारीख तक

या \* (ग) मेरे द्वारा पद रिक्त किये जाने तक या विद्यमान बैंड वेतन और ग्रेड वेतन ----- में वेतन आहरित करना छोड़ने तक जारी रखने का चयन करता/करती हूँ ।

स्थान -

तारीख -

हस्ताक्षर -----

नाम -----

पदनाम -----

कार्यालय जिसमें नियोजित है -----

-----

\*जो लागू न हो काट दीजिए

(केवल कार्यालयीन उपयोग हेतु)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री ----- (नाम) द्वारा प्रस्तुत विकल्प कार्यालय में दिनांक ----- को प्राप्त हुआ ।

हस्ताक्षर -----

पदनाम -----

**GOVERNMENT OF CHHATTISGARH  
FINANCE DEPARTMENT  
MANTRALAYA, MAHANADI BHAVAN, NAYA RAIPUR**

**NOTIFICATION**

Naya Raipur, Dated 19 May, 2017

No. F 2016-04-03303/Finance/Rule/IV: In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following rules, namely:-

**RULES**

**1. Short title and commencement.**— (1) These rules may be called the Chhattisgarh Revision of Pay Rules, 2017.

(2) These rules shall be deemed to have come into force on the 1<sup>st</sup> day of January, 2016.

**2. Categories of Government servants to whom the rules apply.**— Save as otherwise provided by or under these rules, these rules shall apply to all Government servants under the rule making control of the State Government:

Provided that these rules shall not be applicable to the Government servants of following categories,-

- (i) persons appointed on contract;
- (ii) part time and daily rated employees;
- (iii) re-employed pensioners;
- (iv) persons paid from contingencies and work-charged employees;
- (v) persons paid on pay scales of the University Grant Commission and All India Council for Technical Education;
- (vi) persons drawing pay in the All India Service scales;
- (vii) judicial service personnel paid on pay scales recommended by the Shetty Commission; and
- (viii) any other class or category of persons as the Governor may, by order, specially specify in this behalf.



**Explanation.-** For the purpose of clause (iii), the term re-employed pensioners shall not include the re-employed pensioners who were in receipt of compensation or invalid pension and the military pensioners, who were in receipt of compensation or invalid pension and re-employed under the rule making control of the State Government and drawing pay in the existing scale.

**3. Definitions.-** In these rules, unless the context otherwise requires,-

(a) **“basic pay”** in the revised pay structure means the pay drawn in the prescribed Level in the Pay Matrix but does not include any other type of pay like special pay, etc.;

(b) **“existing basic pay”** means pay drawn in the prescribed existing Pay Band and Grade Pay, but does not include any other type of pay like ‘special pay’, etc.;

(c) **“existing Pay Band and Grade Pay”** in relation to a Government Servant means the Pay Band and the Grade Pay applicable to the post held by the Government Servant (or, as the case may be, personal scale applicable to him) as on the date immediately before the notification of these rules, whether in a substantive capacity or in officiating capacity;

(d) **“existing pay structure”** in relation to a Government servant means the present system of Pay Band and Grade Pay applicable to the post held by the Government servant as on the date immediately before coming into force of these rules, whether in a substantive or officiating capacity;

**Explanation.-** In the case of a Government servant, who was on the 1<sup>st</sup> day of January, 2016 on leave or on deputation out of India or on foreign service, or who would have on that date officiated in one or more lower posts but for his officiating on a higher post, “existing basic pay” and “existing Pay Band and Grade Pay” includes the “existing basic pay” and “existing Pay Band and Grade Pay” applicable to the posts which he would have held but

for his being on leave or on deputation out of India or on foreign service or, as the case may be, but for his officiating on a higher post.

(e) **“existing emoluments”** mean the sum of (i) existing basic pay and (ii) existing dearness allowance at index average as on 1<sup>st</sup> day of January 2016;

(f) **“level”** in the Pay Matrix shall mean the Level corresponding to the existing Pay Band and Grade Pay specified in the Schedule-I;

(g) **“pay matrix”** means Matrix specified in the Schedule-I, with levels of pay arranged in vertical cells as assigned to corresponding existing Pay Band and Grade Pay;

(h) **“pay in the Level”** means the pay drawn in appropriate Cell of the Level as specified in the Schedule-I;

(i) **“revised emoluments”** means the pay in the Level of a Government servant in the revised pay structure;

(j) **“revised pay structure”** in relation to a post means the Pay Matrix and the Level specified therein corresponding to the existing Pay Band and Grade Pay of the post unless a different Level is notified separately for the post; and

(k) **“schedule”** means a schedule annexed to these rules.

**4. Level of posts.-** The Level of posts shall be determined in accordance with the various Levels as assigned to the corresponding existing Pay Band and Grade Pay as specified in the Pay Matrix.

**5. Drawal of pay in the revised pay structure.-** A Government servant shall draw pay in the Level in the revised pay structure applicable to the post to which he is appointed:

Provided that a Government servant may elect to continue to draw pay in the existing pay structure until the date on which he earns his next or any subsequent increment in the existing pay structure or until he vacates his post or ceases to draw pay in the existing pay structure:

Provided further that in cases where a Government servant has been placed in a higher grade pay between 1<sup>st</sup> day of January, 2016 and the date of notification of these rules, on account of promotion or upgradation, the Government servant may elect to switch over to the revised pay structure from the date of such promotion or upgradation, as the case may be.

**Explanation.-**

(1) The option to retain the existing pay structure under the provisos to this rule shall be admissible only in respect of one existing Pay Band and Grade Pay.

(2) The aforesaid option shall not be admissible to any person appointed to a post on or after the 1<sup>st</sup> day of January, 2016, whether for the first time in Government service or by transfer from another post, he shall be allowed pay only in the revised pay structure.

(3) Where a Government servant exercises the option under the provisos to this rule to retain the existing pay structure in respect of a post held by him in an officiating capacity on a regular basis for the purpose of regulation of pay in that pay structure under Fundamental Rule 22 or under any other rule or order applicable to that post, his substantive pay shall be substantive pay which he would have drawn had he retained the existing pay structure in respect of the permanent post on which he holds a lien or would have held a lien had his lien not been suspended or the pay of the officiating post which has acquired the character of substantive pay in accordance with any order for the time being in force, whichever is higher.

**6. Exercise of Option.-** (1) The option under the provisos to rule 5 shall be exercised in writing in the form appended to in the Schedule-II so as to reach the authority mentioned in sub-rule (2) within three months of date of publication of these rules or where any revision in the existing pay structure is made by any order subsequent to that date, within three months of the date of such order:

Provided that,-

- (i) in the case of a Government servant, who is on the date of such publication, or as the case may be, on the date of such order on leave or deputation out of state, the said option shall be exercised in writing so as to reach the said authority within three months of his taking charge of his post under the State Government;
- (ii) where a Government servant is under suspension on the 1<sup>st</sup> day of January, 2016, the option may be exercised within three months of the date of his return to his duty if that date is later than the date prescribed in this sub-rule; and
- (iii) those Government servants who have retired after 1<sup>st</sup> January, 2016, and before publication of these rules, shall be entitled to exercise their options under this rule.

(2) The option shall be intimated by the Government servant to the head of his office. The head of office shall submit his own option to his controlling officer.

(3) If the intimation regarding option is not received within the time mentioned in sub-rule (1), the Government servant shall be deemed to have elected to be governed by the revised pay structure with effect from the 1<sup>st</sup> day of January, 2016.

(4) The option once exercised shall be final. Cutting or overwriting in the option shall not be accepted.

**Note 1-** Persons whose services were terminated on or after the 1<sup>st</sup> day of January, 2016 and who could not exercise the option within the prescribed time limit, on account of discharge on the expiry of the sanctioned posts, resignation, dismissal or discharge on disciplinary grounds, are entitled to the benefits of this rule.

**Note 2-** Persons who have died on or after the 1<sup>st</sup> day of January, 2016 and could not exercise the option within prescribed time limit are deemed to have opted for the revised pay structure on and from the 1<sup>st</sup> day of January, 2016 or such later date as is found most beneficial by





the concerning authority, if the revised pay structure is more favorable and his pay may be fixed accordingly.

**7. Fixation of pay in the revised pay structure.** – (1) The initial pay of a Government servant who elects, or is deemed to have elected under sub-rule (3) of rule 6 to be governed by the revised pay structure on and from the 1<sup>st</sup> day of January, 2016, shall, unless in any case the State Government by special order otherwise directs, be fixed separately in respect of his substantive pay in the permanent post on which he holds a lien or would have held a lien if it had not been suspended, and in respect of his pay in the officiating post held by him, in the following manner, namely:-

(i) the pay in the applicable Level in the Pay Matrix shall be the pay obtained by multiplying the existing basic pay by a factor of 2.57, rounded off to the nearest rupee and the figure so arrived at will be located in that Level in the Pay Matrix and if such an identical figure corresponds to any Cell in the applicable Level of the Pay Matrix, the same shall be the pay, and if no such Cell is available in the applicable Level, the pay shall be fixed at the immediate next higher Cell in that applicable Level of the pay Matrix.

Illustration:

1	Existing Pay Band : PB-1	Pay Band	5200-20200				
2	Existing Grade Pay : 2400	Grade Pay	1800	1900	2200	2400	2800
3	Existing Pay in Pay Band : 10190	Levels	3	4	5	6	7
		1	18000	19500	22400	25300	28700
4	Existing Basic Bay : 12590 (10190 + 2400)	2	18500	20100	23100	26100	29600
		3	19100	20700	23800	26900	30500
5	Pay after multiplication by a fitment factor of 2.57 : $12590 \times 2.57 = 32356.30$ (rounded off to 32356)	4	19700	21300	24500	27700	31400
		5	20300	21900	25200	28500	32300
		6	20900	22600	26000	29400	33300
		7	21500	23300	26800	30300	34300
6	Level corresponding to GP 2400 : Level 6	8	22100	24000	27600	31200	35300
		9	22800	24700	28400	32100	36400
7	Revised Pay in Pay Matrix	10	23500	25400	29300	<b>33100</b>	37500

(either equal to or next higher to 32356 in Level 6) : 33100.	11	24200	26200	30200	34100	38600
---	----	-------	-------	-------	-------	-------

(ii) if the minimum pay or the first Cell in the applicable Level is more than the amount arrived at as per sub clause (i) above, the pay shall be fixed at minimum pay or the first Cell of that applicable Level.

(2) A Government servant who is on leave on the 1<sup>st</sup> day of January, 2016 and is entitled to leave salary shall become entitled to pay in the revised pay structure from 1.1.2016 or the date of option for the revised pay structure. Similarly when a Government servant is on study leave on the 1<sup>st</sup> day of January, 2016 he will be entitled to the benefits under these rules from 1.1.2016 or the date of option.

(3) A Government servant under suspension shall continue to draw subsistence allowance based on the existing scale of pay or pay structure and his pay in the revised pay structure shall be subject to the final order on the pending disciplinary proceedings.

(4) Where the existing emoluments exceed the revised emoluments in the case of any Government servant, the difference shall be allowed as personal pay to be absorbed in future increases in pay.

(5) Where in the fixation of pay under sub-rule (1), the pay of a Government servant, who, in the existing pay structure, was drawing immediately before the 1<sup>st</sup> day of January, 2016 more pay than another Government servant junior to him in the same cadre, gets fixed in the revised pay structure in a Cell lower than that of such junior, his pay shall be stepped up to the same Cell in the revised pay structure as that of the junior.

(6) Where a Government servant is in receipt of personal pay immediately before the date of notification of these rules, which together with his existing emoluments exceeds the revised emoluments, then, difference representing such excess shall be allowed to such Government servant as personal pay to be absorbed in future increases in pay.

(7) In cases where a senior Government servant promoted to a higher post before the 1<sup>st</sup> day of January, 2016 draws less pay in the revised pay structure

than his junior who is promoted to the higher post on or after the 1<sup>st</sup> day of January, 2016, the pay of senior Government servant in the revised pay structure shall be stepped up to an amount equal to the pay as fixed for his junior in that higher post. The stepping up shall be done with effect from the date of promotion of the junior Government servant subject to the fulfillment of the following conditions, namely:-

- (a) both the junior and the senior Government servants belong to the same cadre and the posts in which they have been promoted are identical in the same cadre.
- (b) the existing pay structure and revised pay structure of the lower and higher posts in which they are entitled to draw pay are identical.
- (c) the senior Government servant at the time of promotion was drawing equal or more pay than the junior.
- (d) the anomaly is directly as a result of the application of the provisions of the Fundamental Rule 22 or any other rule or order regulating pay fixation on such promotion in the revised pay structure:

Provided that if the junior officer was drawing more pay in the existing pay structure than the senior by virtue of any advance increments granted to him, the provision of this note shall not be invoked to step up the pay of the senior officer.

(8) Subject to the provisions of rule 5, if the pay as fixed in the officiating post under sub-rule (1) is lower than the pay fixed in the substantive post, the former shall be fixed at the same stage as the substantive pay.

**8. Fixation of pay in the revised pay structure of employees appointed as fresh recruits on or after 1<sup>st</sup> day of January, 2016.**— The pay of employees appointed by direct recruitment on or after 1<sup>st</sup> day of January, 2016 shall be fixed at the minimum pay or the first Cell in the Level, applicable to the post to which such employees are appointed:

Provided that where the existing pay of such employee appointed on or after 1<sup>st</sup> day of January, 2016 and before the date of notification of these rules, has already been fixed in existing pay structure and if his existing

emoluments happen to exceed the minimum pay or the first Cell in the Level, as applicable to the post to which he is appointed on or after 1<sup>st</sup> day of January, 2016, such difference shall be paid as personal pay to be absorbed in future increments in pay.

**9. Increment in Pay Matrix.-** The increment shall be as specified in the vertical Cells of the applicable Level in the Pay Matrix.

**Illustration:**

All employee in the Basic Pay of 33100 in Level 6 will move vertically down the same Level in the cells and on grant of increment, his basic pay will be 34100.	Pay Band	5200-20200				
	Grade Pay	1800	1900	2200	2400	2800
	Levels	3	4	5	6	7
	1	18000	19500	22400	25300	28700
	2	18500	20100	23100	26100	29600
	3	19100	20700	23800	26900	30500
	4	19700	21300	24500	27700	31400
	5	20300	21900	25200	28500	32300
	6	20900	22600	26000	29400	33300
	7	21500	23300	26800	30300	34300
	8	22100	24000	27600	31200	35300
	9	22800	24700	28400	32100	36400
	10	23500	25400	29300	<b>33100</b>	37500
				↓		
11	24200	26200	30200	<b>34100</b>	38600	

**10. Date of next increment in revised pay structure.-** (1) There shall be two dates for grant of increment namely, 1<sup>st</sup> January and 1<sup>st</sup> July of every year, instead of existing date of 1<sup>st</sup> July:

Provided that an employee shall be entitled to only one annual increment either on 1<sup>st</sup> January or 1<sup>st</sup> July depending on the date of his appointment, promotion or upgradation.

(2) The increment in respect of an employee appointed or promoted or granted financial upgradation during the period between 2<sup>nd</sup> day of January and 1<sup>st</sup> day of July (both inclusive) shall be granted on 1<sup>st</sup> day of January and the increment in respect of an employee appointed or promoted or granted financial

upgradation during the period between 2<sup>nd</sup> day of July and 1<sup>st</sup> day of January (both inclusive) shall be granted on 1<sup>st</sup> day of July.

**Illustration:**

(a) In case of an employee appointed or promoted in the normal hierarchy or granted financial upgradation during the period between the 2<sup>nd</sup> day of July, 2016 and the 1<sup>st</sup> day of January, 2017, the first increment shall accrue on the 1<sup>st</sup> day of July, 2017 and thereafter it shall accrue after one year on annual basis.

(b) In case of an employee appointed or promoted in the normal hierarchy or granted financial upgradation during the period between the 2<sup>nd</sup> day of January, 2016 and the 1<sup>st</sup> day of July, 2016, who did not draw any increment on 1<sup>st</sup> day of July, 2016 the next increment shall accrue on the 1<sup>st</sup> day of January, 2017 and thereafter it shall accrue after one year on annual basis:

Provided that in case of employees whose pay in the revised pay structure has been fixed as on 1<sup>st</sup> day of January, the next increment in the level in which the pay was so fixed as on 1<sup>st</sup> day of January, 2016 shall accrue on 1<sup>st</sup> day of July, 2016:

Provided further that the next increment after drawal of increment on 1<sup>st</sup> day of July, 2016 shall accrue on 1<sup>st</sup> day of July, 2017.

**11. Fixation of pay in the revised pay structure subsequent to the 1<sup>st</sup> day of January 2016.-** Where a Government servant continues to draw his pay in the existing pay structure and is brought over to the revised pay structure from a date later than the 1<sup>st</sup> day of January, 2016 his pay from the later date in the revised pay structure shall be fixed in the manner prescribed in clause (i) of sub-rule (1) of rule 7 of these rules.

**12. Fixation of pay on re-appointment after the 1<sup>st</sup> day of January, 2016 to a post held prior to that date.-** A Government servant who had officiated in a post prior to the 1<sup>st</sup> day of January, 2016 but was not holding that post on that date and who on subsequent appointment to that post draws pay in the

revised pay structure shall be allowed the benefit of the proviso to the Fundamental Rule 22, to the extent it would have been admissible had he been holding that post on the 1<sup>st</sup> day of January, 2016, and had elected the revised pay structure on and from that date.

**13. Fixation of pay on promotion on or after 1.1.2016.**— For the fixation of pay in case of promotion from one Level to another in the revised pay structure one increment shall be given in the Level from which the employee is promoted and he shall be placed at a Cell equal to the figure so arrived at in the Level of the post to which promoted and if no such Cell is available in the level to which promoted, he shall be placed at the next higher Cell in that Level.

**Illustration:-**

1	Level in the revised pay structure : Level 6	Pay Band	5200-20200				
2	Basic Pay in the revised pay structure 31200	Grade Pay	1800	1900	2200	2400	2800
3	Granted Promotion in Level 7	Levels	3	4	5	6	7
		1	18000	19500	22400	25300	28700
4	Pay after giving one increment in Level 6: 32100	2	18500	20100	23100	26100	29600
		3	19100	20700	23800	26900	30500
5	Pay in the upgraded Level 7: 32300 (either equal to or next higher to 32100 in Level 6)	4	19700	21300	24500	27700	31400
		5	20300	21900	25200	28500	<b>32300</b>
		6	20900	22600	26000	29400	33300
		7	21500	23300	26800	30300	34300
		8	22100	24000	27600	<b>31200</b>	35300
		9	22800	24700	28400	<b>32100</b>	36400
		10	23500	25400	29300	33100	37500
		11	24200	26200	30200	34100	38600

**14. Mode of payment of arrears of pay-** The arrears shall be paid after the Government decision in this regard and orders will be issued separately.

**Explanation.-** For the purpose of this rule, “arrears of pay” in relation to a Government servant, means the difference between:

(i) the aggregate of the pay and dearness allowance to which he is entitled on account of revision of his pay under these rules, for the period effective from the 1st day of January, 2016; and


(ii) the aggregate of the pay and dearness allowances to which he would have been entitled (whether such pay and dearness allowances have been received or not) for that period had his pay and allowances not been so revised.

**15. Overriding effect of rules-** In cases where the pay is regulated by these rules, the provisions of Fundamental Rules and any other rule shall not apply to the extent they are inconsistent with these rules.

**16. Power to relax-** The State Government may relax or suspend the operation of any of the provisions of these rules in the case of Government servant or category of Government servants in such a manner and to such extent as may appear to it, to be just and equitable or necessary or expedient in public interest.


**17. Interpretation-** If any question arises relating to interpretation of these rules, it shall be referred to Government in Finance Department, whose decision thereon shall be final.

By order and in the name of the  
Governor of Chhattisgarh,

  
(S.K. Chakraborty) 19/07/2017  
Joint Secretary

## Schedule-I

<b>Pay Matrix</b>											
Pay Band	4750-7440		5200-20200					9300-34800			
Grade Pay	1300	1400	1800	1900	2200	2400	2800	4200	4300	4400	4800
Level	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	15600	16100	18000	19500	22400	25300	28700	35400	38100	43200	49100
2	16100	16600	18500	20100	23100	26100	29600	36500	39200	44500	50600
3	16600	17100	19100	20700	23800	26900	30500	37600	40400	45800	52100
4	17100	17600	19700	21300	24500	27700	31400	38700	41600	47200	53700
5	17600	18100	20300	21900	25200	28500	32300	39900	42800	48600	55300
6	18100	18600	20900	22600	26000	29400	33300	41100	44100	50100	57000
7	18600	19200	21500	23300	26800	30300	34300	42300	45400	51600	58700
8	19200	19800	22100	24000	27600	31200	35300	43600	46800	53100	60500
9	19800	20400	22800	24700	28400	32100	36400	44900	48200	54700	62300
10	20400	21000	23500	25400	29300	33100	37500	46200	49600	56300	64200
11	21000	21600	24200	26200	30200	34100	38600	47600	51100	58000	66100
12	21600	22200	24900	27000	31100	35100	39800	49000	52600	59700	68100
13	22200	22900	25600	27800	32000	36200	41000	50500	54200	61500	70100
14	22900	23600	26400	28600	33000	37300	42200	52000	55800	63300	72200
15	23600	24300	27200	29500	34000	38400	43500	53600	57500	65200	74400
16	24300	25000	28000	30400	35000	39600	44800	55200	59200	67200	76600
17	25000	25800	28800	31300	36100	40800	46100	56900	61000	69200	78900
18	25800	26600	29700	32200	37200	42000	47500	58600	62800	71300	81300
19	26600	27400	30600	33200	38300	43300	48900	60400	64700	73400	83700
20	27400	28200	31500	34200	39400	44600	50400	62200	66600	75600	86200
21	28200	29000	32400	35200	40600	45900	51900	64100	68600	77900	88800
22	29000	29900	33400	36300	41800	47300	53500	66000	70700	80200	91500
23	29900	30800	34400	37400	43100	48700	55100	68000	72800	82600	94200
24	30800	31700	35400	38500	44400	50200	56800	70000	75000	85100	97000
25	31700	32700	36500	39700	45700	51700	58500	72100	77300	87700	99900
26	32700	33700	37600	40900	47100	53300	60300	74300	79600	90300	102900
27	33700	34700	38700	42100	48500	54900	62100	76500	82000	93000	106000
28	34700	35700	39900	43400	50000	56500	64000	78800	84500	95800	109200
29	35700	36800	41100	44700	51500	58200	65900	81200	87000	98700	112500
30	36800	37900	42300	46000	53000	59900	67900	83600	89600	101700	115900
31	37900	39000	43600	47400	54600	61700	69900	86100	92300	104800	119400
32	39000	40200	44900	48800	56200	63600	72000	88700	95100	107900	123000
33	40200	41400	46200	50300	57900	65500	74200	91400	98000	111100	126700
34	41400	42600	47600	51800	59600	67500	76400	94100	100900	114400	130500
35	42600	43900	49000	53400	61400	69500	78700	96900	103900	117800	134400
36	43900	45200	50500	55000	63200	71600	81100	99800	107000	121300	138400
37	45200	46600	52000	56700	65100	73700	83500	102800	110200	124900	142600
38	46600	48000	53600	58400	67100	75900	86000	105900	113500	128600	146900
39	48000	49400	55200	60200	69100	78200	88600	109100	116900	132500	151300
40	49400	50900	56900	62000	71200	80500	91300	112400	120400	136500	155800





## Pay Matrix

Pay Band	15600-39100			37400-67000		
Grade Pay	5400	6600	7600	8700	8900	10000
Level	12	13	14	15	16	17
1	56100	67300	79900	118500	129700	141800
2	57800	69300	82300	122100	133600	146100
3	59500	71400	84800	125800	137600	150500
4	61300	73500	87300	129600	141700	155000
5	63100	75700	89900	133500	146000	159700
6	65000	78000	92600	137500	150400	164500
7	67000	80300	95400	141600	154900	169400
8	69000	82700	98300	145800	159500	174500
9	71100	85200	101200	150200	164300	179700
10	73200	87800	104200	154700	169200	185100
11	75400	90400	107300	159300	174300	190700
12	77700	93100	110500	164100	179500	196400
13	80000	95900	113800	169000	184900	202300
14	82400	98800	117200	174100	190400	208400
15	84900	101800	120700	179300	196100	214700
16	87400	104900	124300	184700	202000	0
17	90000	108000	128000	190200	208100	0
18	92700	111200	131800	195900	214300	0
19	95500	114500	135800	201800	0	0
20	98400	117900	139900	207900	0	0
21	101400	121400	144100	214100	0	0
22	104400	125000	148400	0	0	0
23	107500	128800	152900	0	0	0
24	110700	132700	157500	0	0	0
25	114000	136700	162200	0	0	0
26	117400	140800	167100	0	0	0
27	120900	145000	172100	0	0	0
28	124500	149400	177300	0	0	0
29	128200	153900	182600	0	0	0
30	132000	158500	188100	0	0	0
31	136000	163300	193700	0	0	0
32	140100	168200	199500	0	0	0
33	144300	173200	205500	0	0	0
34	148600	178400	211700	0	0	0
35	153100	183800	0	0	0	0
36	157700	189300	0	0	0	0
37	162400	195000	0	0	0	0
38	167300	200900	0	0	0	0
39	172300	206900	0	0	0	0
40	177500	213100	0	0	0	0



Schedule-II  
**Form of Option**

(See Rule-6)

I----- hereby elect to draw my pay in the Revised pay structure with effect from 1st January, 2016.

or

I ----- hereby elect to continue on the existing pay band and grade pay of ----- of my substantive/officiating Post of ----- until

\* (a) The date of my next increment

or \*(b) The date of subsequent increment raising my band pay to Rs

-----

or \*(c) I vacate the post or cease to draw pay in the existing pay band and grade pay of -----

Station -----

Date -----

Signature -----

Name -----

Designation -----

Office in which employed -----

-----

\* (strike off if inapplicable)

**FOR OFFICE USE ONLY**

Certified that the option submitted by Shri/Smt./Ku. -----

----- (name) is received in the office on -----

-----

Signature -----

Designation -----